ओ.ए.
श्री सोनी जी श्री कोलेश्वर जी
प्रा.—वा.
प्रा.प्र.
21-9-10

446
22/9/10

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अजमेर

क्रमांकः जिशिअ / रामाशिअ / अज / मॉडल स्कूल / 10 / 306 दिनांकः— 10/9/10

परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

विषयः— शैक्षिक दृष्टि से पिछडे ब्लॉक में मॉडल स्कूल निर्माण हेतु प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में ।

प्रसंगः— श्रीमान शासन सचिव शिक्षा के अ0शा0 पत्र क्रमांक प04 (15) शिक्षा—1 / 2008 जयपुर दिनांक 16—8—10

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछडे ब्लॉक में मॉडल स्कूल निर्माण हेतु भूमि आवंटन की स्थिति निम्नानुसार है—

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	चयनित स्थान	आवंटन की स्थिति
1	अराई	अंराई	जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश क्रमाक—कअ / राजस्व / एफ12 (सी) / 10 / 41 दिनांक 15—3—10 के द्वारा 25 बीघा भूमि आवंटित की गई
2	भिनाय	बान्दनवाडा (भिनाय)	जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश क्रमाक—कअ / राजस्व / एफ12 (सी) / 10 / 162 दिनांक 8—9—10 के द्वारा 4.08 हैक्टर भूमि आरक्षित की गई
3	केकडी	सवर (केकडी)	जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश क्रमाक—कअ / राजस्व / एफ12 (सी) / 10 / 161 दिनांक 8—9—10 के द्वारा 4.00 हैक्टर भूमि आरक्षित की गई
4	किशनगढ	बान्दरसिन्दरी (किशनगढ)	जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश क्रमाक—कअ / राजस्व / एफ12 (सी) / 10 / 163 दिनांक 8—9—10 के द्वारा 10 एकड भूमि आरक्षित की गई
5	मसूदा	मसूदा	जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश क्रमाक—कअ / राजस्व / एफ12 (सी) / 10 / 112 दिनांक 27—8—09 के द्वारा 25 बीघा भूमि आवंटित की गई
6	पीसांगन	पीसांगन	जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश क्रमाक—कअ / राजस्व / एफ12 (सी) / 10 / 160 दिनांक 8—9—10 के द्वारा 3.10 हैक्टर भूमि आरक्षित की गई
7	श्रीनगर	श्रीनगर	जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश क्रमाक—कअ / राजस्व / एफ12(सी) / 10 / 159दिनांक 8—9—10 के द्वारा 2.75 हैक्टर भूमि आरक्षित की गई

10/9/10
जिला शिक्षा अधिकारी मा0प्र0एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल, अजमेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक—द्वितीय, अजमेर
3. प्रधानाचार्य राउमावि— बान्दनवाडा / सावर / बान्दरसिन्दरी / पीसांगन / श्रीनगर (अजमेर) को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित तहसीलदार से सम्पर्क कर आवंटन होते ही कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
4. प्रधानाचार्य राउमावि—अंराई को भेजकर लेख है कि संबंधित पटवारी से कब्जा प्राप्त करने हेतु तिथि तय कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें एवं कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही करें ।

10/9/10
जिला शिक्षा अधिकारी मा0प्र0एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अजमेर

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

क्रमांक : कअ/राजस्व/एफ12(सी)/10/ 41

दिनांक : 15.3.10

–:: आदेश ::–

शासन उप सचिव,राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र कमांक प.6(215) राज–3/09 दिनांक 1.2.2010 से ग्राम अरांई तहसील किशनगढ के आराजी खसरा नं. 1589मिन रकबा 55–00–0बीघा किस्म गै.मु.चरागाह में से 25 बीघा भूमि की किस्म खारिज कर मॉडल विद्यालय हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग को राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम ,1963 के अन्तर्गत निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राज्य सरकार की उक्त स्वीकृति के अनुसरण में राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कालेजों ,चिकित्सालयों ,धर्मशालाओं एंव अन्य सार्वजनिक भवनों के निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय भूमि के आवंटन) नियम, 1963 के प्रावधानानुसार ग्राम अरांई तहसील किशनगढ के आराजी खसरा नं. 1589मिन रकबा 55–00–0 बीघा में से 25 बीघा भूमि मॉडल विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम) अजमेर को निम्न शर्तो एंव निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटन करने के एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैः–

शर्ते एंव निबन्धन :–

1. यह आवंटन 99 वर्ष की कालावधि के लिए पट्टाधृति आधार पर किया जाता है। पट्टा विलेख प्रारूप–1 में प्रस्तुत करना होगा।
2. यह आवंटन निःशुल्क किया जाता है।
3. भूमि का उपयोग सर्वथा उस प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा जिसके लिए भूमि का आवंटन किया गया है और उस भवन का सन्निर्माण जिसके लिए भूमि का आवंटन किया गया है, कब्जा सौंपने के छः माह के भीतर भीतर प्रारम्भ कर दिया जायेगा। आवंटित कब्जा सौपे जाने के दो वर्ष के भीतर भवन का सनिर्माण पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए इस भूमि को आवंटित किया गया है।
4. भूमि राज्य सरकार में निहित होगी।
5. आवंटित भूमि का सन्निर्मित भवन या प्रारम्भ किये गये संस्थान का उपयोग जनता के लाभ लिए किया जायेगा। आवंटित भूमि और उस पर बने हुए भवन का किसी भी रूप में विक्रय, उपपट्टे पर किया जाना या अन्तरण करना, आवंटन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के विना नहीं किया जायेगा।
6. प्रत्येक शर्त के लिए आवंटिति लिखित अनुबन्ध करने को बाध्य होगा।
7. उपरोक्त शर्तो में से किसी का उल्लघंन होने की दशा में भूमि, उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित बिना किसी क्षतिपूर्ति, दावे के वापस सरकार में निहित हो जायेगी।

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA
2021/6/23 11:18

Scanned with CamScanner

(1)

दिनांक :– 15.3.18

क्रमांक :– सम/10/2001-6

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज. जयपुर
3. उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम) अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुरूप अनुबन्ध पत्र तैयार कर तहसीलदार, किशनगढ को प्रस्तुत करावें एंव भूमि का कब्जा प्राप्त करें तथा पट्टाविलेख अनुमोदन हेतु भिजवावें ।
5. तहसीलदार, किशनगढ को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुरूप राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में इन्द्राज व नक्शे में तरमीम की नियमानुसार कार्यवाही करावें तथा अनुबन्ध पत्र प्राप्त कर कब्जा संभलावें एंव पट्टाविलेख अनुमोदन हेतु भिजवावें ।
6. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, अजमेर

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA
2021/6/23 11:18

Scanned with CamScanner